aglasem.com

FOR HARYANA CLASS 11 PREPARATION

HBSE Class 11 Sample Paper 2027 Political Science Marking Scheme

EXAM	YEAR	TYPE	SUBJECT
Haryana Class 11	2027	Answer Key	Political Science

Answer Key

class 11th Political science

खंड- क: वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Section A: Objective-type Questions)

1. निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है?

उत्तर: (C) अरस्तु (Aristotle)

2."स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा रूप है।" यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है?

उत्तर: (B) सीले

3.मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौम घोषणा हुई थी -

उत्तर: (A) सन् 1948 में (10 दिसंबर 1948)

4. भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र निर्माण में बाधा है?

उत्तर: (D) उपयुक्त सभी (सांप्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार तीनों ही बाधाएँ हैं।)

5.भारतीय संविधान का निर्माण किया गया -

उत्तर: (A) संविधान सभा द्वारा (Constituent Assembly)

6.भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं -

उत्तर: (C) अनुच्छेद 12 से 35 (भाग-3 में)

7.भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए -

उत्तर: (D) 25 वर्ष

8.भारत में समस्त सेनाओं का सेनापति है -

उत्तर: (C) राष्ट्रपति (President)

9.दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया -

उत्तर: (B) सन् 1985 में (52वाँ संविधान संशोधन)

10.भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून संसद द्वारा निम्नलिखित वर्ष में पास किया गया था -

उत्तर: (D) सन् 1955 (नागरिकता अधिनियम, 1955)

11. निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है?

उत्तर: (A) विदेशी मामले (Foreign Affairs)

12.सरपंच का चुनाव किया जाता है -

उत्तर: (C) प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा

13. राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी थी?

उत्तर: राजनीति को सर्वोच्च या 'सर्वोत्कृष्ट विज्ञान' (Master Science) की संज्ञा यूनानी दार्शनिक **अरस्तू** (Aristotle) ने दी थी।

14."भूखे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है वह स्वतंत्रता है ना तो खा सकता है ना पी सकता है।" यह कथन किस विद्वान का है?

उत्तर: यह प्रसिद्ध कथन **जवाहरलाल नेहरू**

15.न्याय के तीन आधारभूत तत्वों के नाम लिखें?

उत्तर: 1. सत्य और निष्पक्षता, 2. कानून के समक्ष समानता, 3. मानवाधिकारों व स्वतंत्रता का आदर।

16पुरुषों एवं स्त्रियों में भेदभाव करना असमानता का रूप कहलाता है।

उत्तर: लैंगिक (Gender / Natural / Social) असमानता।

17."नागरिकता अपनी निष्ठाओं को ठीक से निभाता है।" यह कथन..... ने कहा।

उत्तर: लास्की (Harold Laski) (या टी. एच. मार्शल)।

18.पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय में स्थित है।

उत्तर: चंडीगढ़ (Chandigarh)

19.अभिकथन-कारण पर आधारित प्रश्न (Assertion-Reason Questions)

अभिकथन (A): भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है।

कारण (R): भारतीय संविधान में संशोधन नहीं हो सकता।

उत्तर: (C) अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है।

(क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए यह जीवंत है।)

20.अभिकथन (A): प्रस्तावना संविधान की आत्मा व दर्पण है।

कारण (R): प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द "हम भारत के लोग" हैं।

उत्तर: (B) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

खंड- ख: अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न

(Section B: Very Short Answer)

21.लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, संक्षेप टिप्पणी लिखें।

उत्तर: लोकतंत्र जनता का शासन है। यदि नागरिक जागरूक नहीं होंगे, तो वे अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे और भ्रष्ट या अयोग्य नेताओं का चुनाव कर बैठेंगे। जागरूक नागरिक ही सरकार की नीतियों पर नजर रखते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और तानाशाही को रोकते हैं।

22. समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है?

उत्तर: स्वतंत्रता और समानता एक-दूसरे के पूरक हैं। बिना समानता के स्वतंत्रता कुछ ही लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाएगी (जिससे तानाशाही आएगी), और बिना स्वतंत्रता के समानता स्थापित करने से व्यक्तिगत विकास रुक जाएगा।

(अथवा)

समानता की दो विशेषताएं लिखें?

उत्तर: 1. विशेषाधिकारों का अंत (समाज में किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या वंश के आधार पर विशेष अधिकार न मिलना)। 2. सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होना।

23. किन आधारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति के सार्वभौमिक माने जाते हैं?

उत्तर: अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये किसी देश, जाति, लिंग या धर्म की सीमाओं से बंधे नहीं होते। ये मनुष्य को 'मानव' होने के नाते जन्मजात मिलते हैं (जैसे जीने का अधिकार) ताकि वह एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके।

(अथवा)

अधिकारों की दो विशेषता लिखिए।

उत्तर: 1. अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू (कानूनी संरक्षण प्राप्त) होते हैं।

2. अधिकार असीमित नहीं होते, इन पर समाज और राष्ट्र के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

24. राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अर्थ है कि किसी भी विशिष्ट सांस्कृतिक या राष्ट्रीय पहचान वाले जनसमूह (राष्ट्र) को यह अधिकार है कि वह अपने राजनीतिक भविष्य, शासन प्रणाली और विकास का रास्ता खुद चुने, बिना किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप के।

25.शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है, संक्षेप में लिखें।

उत्तर: यदि शासकों की शक्तियाँ असीमित होंगी, तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं और शासन तानाशाही में बदल सकता है। संविधान सरकार के अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) की सीमाएं तय करके कानून का शासन स्थापित करता है।

26. लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? एक कारण बताएं।

उत्तर: हम इस बात से आंशिक रूप से सहमत हैं। इसका कारण यह है कि संसदीय व्यवस्था में बहुमत दल की सरकार होने के कारण कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) पर कड़ा कानूनी नियंत्रण कभी-कभी मुश्किल होता है, परंतु लोकसभा में पूरे देश के प्रतिनिधि बैठते हैं, जो शून्यकाल, प्रश्नकाल और बहसों के माध्यम से जनता की समस्याओं और भावनाओं को सरकार के सामने प्रखरता से रखते हैं।

(अथवा)

लोकसभा की रचना का संक्षेप में वर्णन करें।

उत्तर: लोकसभा संसद का निम्न व लोकप्रिय सदन है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है (वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं)। इसके सदस्यों का चुनाव देश के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।

27.संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संक्षेप में लिखें।

उत्तर: विशेष बहुमत (सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई) की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि कोई भी राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक लाभ या मामूली बहुमत के बल पर संविधान के मूल ढांचे और पवित्रता के साथ खिलवाड़ न कर सके। इससे संविधान में स्थिरता और गंभीरता बनी रहती है।

28.भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखें।

उत्तर: प्रस्तावना को संविधान की 'कुंजी' या 'आत्मा' कहा जाता है। इसका महत्व यह है कि यह संविधान के मूल आदर्शों (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व), शासन के स्वरूप (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य) और संविधान के स्रोतों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। कानून की व्याख्या में न्यायपालिका इसका सहारा लेती है।

खंड- ग: लघु उत्तरात्मक प्रश्न

(Section C: Short Answer)

29. नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है, संक्षेप में लिखें?

उत्तर: नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा में राज्य की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिकाएँ होती हैं:

कानून का शासन: राज्य न्यायपूर्ण कानून बनाकर यह सुनिश्चित करता है कि शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों की स्वतंत्रता को न छीन सकें।

अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण: राज्य न्यायपालिका के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है।

उचित प्रतिबंध: राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध लगाता है, ताकि एक की स्वतंत्रता दूसरे के लिए मुसीबत न बने।

30.आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतें क्या मानी गई हैं? इस न्यूनतम को सुनिश्चित करने में सरकार की क्या जिम्मेदारी है?

उत्तर: एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन के लिए न्यूनतम बुनियादी जरूरतें **रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं** मानी गई हैं।

सरकार की जिम्मेदारी: कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न योजनाओं (जैसे- मुफ्त राशन, सरकारी स्कूल, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, आवास योजना) के जरिए समाज के गरीब और वंचित वर्गों तक इन न्यूनतम आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित करे ताकि सभी को गरिमापूर्ण जीवन मिल सके।

(अथवा)

न्याय की तीन प्रमुख विशेषताएं **समानता**, **निष्पक्षता**, और **विधि का शासन** (Rule of Law) हैं

समानता: इसके तहत न्याय व्यवस्था में सभी व्यक्तियों के साथ बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के भेदभाव के समान व्यवहार किया जाता है।
निष्पक्षता: न्याय किसी भी प्रकार के पक्षपात, व्यक्तिगत स्वार्थ या पूर्वाग्रह से मुक्त होता है और सभी को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलता है।
विधि का शासन: न्याय का संचालन मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि पूर्व-निर्धारित और पारदर्शी कानूनों के आधार पर होता है।

31. राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले तीन कारक बताएं?

उत्तर: राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले तीन मुख्य कारक निम्न हैं:

साझा इतिहास और विरासत: एक साझा अतीत, ऐतिहासिक संघर्ष (जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम) और पूर्वजों की कहानियां लोगों को एक सूत्र में बांधती हैं।

साझा भौगोलिक क्षेत्र: एक निश्चित भूभाग या मातृभूमि के प्रति सामूहिक प्रेम और जुड़ाव की भावना राष्ट्रवाद को जन्म देती है।

साझा राजनीतिक आदर्श: लोकतान्त्रिक मूल्य, स्वतंत्रता, और एक साझा भविष्य की कल्पना जो सभी नागरिकों को आपस में जोड़ती है।

32.भारतीय पंथ निरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं वरन् उससे अधिक किन्हीं बातों पर है, इस कथन को समझाइए।

उत्तर: पश्चिमी पंथनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव (पूरी दूरी) होता है, जहाँ राज्य धर्म के मामले में कोई दखल नहीं देता। लेकिन भारतीय पंथनिरपेक्षता इससे कहीं आगे है:

सर्वधर्म समभाव: भारतीय राज्य सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण देता है।

सकारात्मक हस्तक्षेप: समाज सुधार के लिए (जैसे- छुआछूत का अंत, सती प्रथा पर रोक, महिलाओं के अधिकार) भारतीय राज्य धर्म के मामलों में न्यायपूर्ण हस्तक्षेप कर सकता है।

अल्पसंख्यकों के अधिकार: भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने और संस्कृति को बचाने की विशेष आजादी दी गई है। अतः भारतीय मॉडल 'सैद्धांतिक दूरी' और 'धार्मिक सुधारों' के समन्वय पर आधारित है।

33.आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें।

उत्तर: मेरे अनुसार **"संवैधानिक उपचारों का अधिकार" (अनुच्छेद 32)** सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा था।

इसके प्रावधान: यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) जा सकता है। अदालतें अधिकारों को लागू करने के लिए पांच प्रकार के विशेष आदेश (रिट) जारी करती हैं— जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण लेख। इसके बिना अन्य सभी अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं।

(अथवा)

भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का महत्व बताएं।

उत्तर: मौलिक अधिकारों का महत्व निम्नलिखित है:

व्यक्तिगत विकास: ये अधिकार नागरिकों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए स्वतंत्रता का माहौल देते हैं।

लोकतंत्र का आधार: ये सरकार को तानाशाह बनने से रोकते हैं और कानून का शासन स्थापित करते हैं।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा: ये समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों को बहुसंख्यकों के दबाव से बचाते हैं और सामाजिक समानता लाते हैं।

34.न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने वाले तत्वों का वर्णन करें।

उत्तर: अर्थ: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव, डर, राजनीतिक प्रभाव या सरकार के अन्य दो अंगों (विधायिका और कार्यपालिका) के हस्तक्षेप के, पूरी निष्पक्षता से कानून के अनुसार न्याय कर सकें।

स्थापित करने वाले तत्व (प्रावधान):

नियुक्ति की निश्चित प्रक्रिया: न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक दखल कम करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली या वरिष्ठता को आधार बनाया जाता है।

कार्यकाल की सुरक्षा: न्यायाधीशों को हटाना अत्यंत कठिन है; उन्हें केवल संसद में जटिल 'महाभियोग' प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है।

वित्तीय स्वतंत्रता: न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता।

Or

उच्चतम न्यायालय - संगठन (Organization)

न्यायाधीशों की संख्या: वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं।
नियुक्ति: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
योग्यता: न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए,
किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक वकालत की हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च ज्ञाता हो।
कार्यकाल: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश **65 वर्ष की आयु** तक अपने पद पर बने रहते

शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार (Powers and Jurisdiction)

मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction): केंद्र और राज्य के बीच, अथवा विभिन्न राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की सीधी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में ही होती है।
अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction): यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है।
सलाहकारी क्षेत्राधिकार: अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं,

प्रमुख कार्य (Functions)

संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution): यह भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है।

अभिलेख न्यायालय (Court of Record): इसके सभी निर्णयों और कार्यवाहियों को कानूनी रूप से संरक्षित और मान्यता प्राप्त होती है।

35. भारतीय संविधान की ऐसी तीन विशेषताओं का उल्लेख करें जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीयकरण सरकार को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं?

उत्तर: भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु इसकी आत्मा एकात्मक (केंद्र की ओर झुकी हुई) है। इसकी तीन विशेषताएं इस प्रकार हैं:

शक्तियों का विभाजन (संघ सूची का भारी होना): राष्ट्रीय महत्व के सबसे महत्वपूर्ण विषय (रक्षा, विदेश, बैंकिंग) संघ सूची में हैं। साथ ही 'समवर्ती सूची' पर टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है और 'अवशिष्ट शक्तियां' भी केंद्र के पास हैं।

राज्यपाल का पद: राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) द्वारा की जाती है। राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है और राज्य सरकार को नियंत्रित कर सकता है।

आपातकालीन प्रावधान: अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल लागू होने पर देश का पूरा ढांचा एकात्मक हो जाता है और संसद को राज्यों के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।

Or

भारतीय संविधान की तीन प्रमुख संघीय विशेषताएं इस प्रकार हैं :

शक्तियों का विभाजन: संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। इसके लिए सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) बनाई गई हैं।
लिखित और सर्वोच्च संविधान: भारत का संविधान एक विस्तृत, लिखित दस्तावेज है। संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है और केंद्र व राज्य दोनों ही इसके अधीन हैं।
स्वतंत्र न्यायपालिका: केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और संविधान की व्याख्या करने के लिए एक सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है।

36. सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संविधान संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं? संक्षेप में लिखें।

उत्तर: 73वें संविधान संशोधन (पंचायती राज अधिनियम) में कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित आरक्षण प्रावधान किए गए हैं:

अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) के लिए आरक्षण: प्रत्येक पंचायत स्तर पर इनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं।

महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) आरक्षण: सभी पंचायतों में कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं (कई राज्यों में अब यह 50% है)।

अध्यक्ष पदों पर आरक्षण: केवल सामान्य सदस्य ही नहीं, बल्कि ग्राम प्रधान, सरपंच और जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों पर भी चक्रानुक्रम (Rotation) से SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है।

खंड- घ: निबंधात्मक प्रश्न

(Section D: Essay-type Questions)

37.राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए। हर प्रकार के अधिकार के उदाहरण भी दीजिए।

उत्तर:

अधिकार का प्रकार	अर्थ / परिभाषा	प्रमुख उदाहरण
1. राजनीतिक अधिकार (Political Rights)	ये अधिकार नागरिकों को देश की राजनीतिक व्यवस्था और सरकार के संचालन में भाग लेने की शक्ति प्रदान करते हैं।	मत देने (वोट डालने) का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। * सरकारी पद पाने का अधिकार।
2. आर्थिक अधिकार (Economic Rights)	ये अधिकार व्यक्ति की बुनियादी भौतिक जरूरतों (भोजन, आवास, रोजगार) को पूरा करने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं।	काम/रोजगार का अधिकार। उचित मजदूरी पाने

अधिकार का प्रकार	अर्थ / परिभाषा	प्रमुख उदाहरण
		का अधिकार। * विश्राम और निश्चित कामकाजी घंटों का अधिकार।
3. सांस्कृतिक अधिकार (Cultural Rights)	ये अधिकार व्यक्तियों और समुदायों को अपनी भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति और जीवन पद्धति को बनाए रखने व उसका विकास करने की स्वतंत्रता देते हैं।	अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार। शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार। * धार्मिक उत्सव मनाने की आजादी।

(अथवा)

अधिकारों का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए।

उत्तर:

अधिकारों का अर्थ: अधिकार किसी व्यक्ति के वे न्यायसंगत और तर्कसंगत दावे हैं, जिन्हें समाज मान्यता देता है और राज्य (कानून) लागू करता है। अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता।

अधिकारों की मुख्य विशेषताएं:

सामाजिक प्रकृति: अधिकार केवल समाज में ही संभव हैं। असामाजिक या अकेले रहने वाले व्यक्ति के लिए अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं होता।

कल्याणकारी स्वरूप: अधिकार हमेशा व्यक्ति के नैतिक और सकारात्मक विकास के लिए होते हैं, समाज को नुकसान पहुँचाने वाले कामों (जैसे चोरी या हिंसा) को अधिकार नहीं माना जा सकता।

अधिकार और कर्तव्य का संबंध: अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे अधिकार दूसरों के कर्तव्य हैं, और दूसरों के अधिकार हमारे कर्तव्य हैं।

राज्य का संरक्षण: सच्चे अधिकार वही हैं जिन्हें देश का कानून और न्यायपालिका सुरक्षा प्रदान करती है।

परिवर्तनशील: समय और परिस्थितियों के बदलने के साथ अधिकारों का स्वरूप भी बदलता रहता है (जैसे वर्तमान में 'इंटरनेट का अधिकार' या 'गोपनीयता का अधिकार' नए अधिकारों के रूप में उभर रहे हैं)।

38.भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरन एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं?

उत्तर: भारतीय संविधान सभी को समान नागरिकता देता है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर आज भी नागरिकता का पूर्ण आदर्श प्राप्त करना एक 'परियोजना' (चलता हुआ काम) है। आजकल भारत में नागरिकता से जुड़े निम्नलिखित बड़े मुद्दे चर्चा में हैं:

सीएए (CAA) और एनआरसी (NRC) का मुद्दा: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर देश में व्यापक बहस हुई है। इसमें प्रवासियों को नागरिकता देने के धार्मिक आधारों और देश के वैध नागरिकों की पहचान से जुड़े दस्तावेजों की उपलब्धता पर सवाल उठाए गए हैं।

शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की समस्या: म्यांमार से आए रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों का मुद्दा देश की सुरक्षा और संसाधनों के वितरण को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है।

आर्थिक व सामाजिक असमानता का प्रभाव: कागजों पर तो अमीर-गरीब सबकी नागरिकता समान है, लेकिन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों गरीब नागरिक आज भी बुनियादी सुविधाओं (साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य) से वंचित हैं। वे अपनी 'लोकतांत्रिक नागरिकता' का लाभ पूरी तरह नहीं उठा पाते।

क्षेत्रवाद और प्रवासियों के साथ भेदभाव: देश के भीतर ही एक राज्य के नागरिकों का दूसरे राज्य (जैसे मुंबई या पूर्वोत्तर) में जाकर काम करने पर स्थानीयता के नाम पर विरोध होना, समान नागरिकता की भावना को ठेस पहुँचाता है।

(अथवा)

आदर्श नागरिक के गुणों का वर्णन करें।

उत्तर: एक आदर्श नागरिक वह है जो न केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहता है, बल्कि समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाता है। उसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं:

देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति निष्ठा: आदर्श नागरिक अपने देश से प्रेम करता है, उसके संकट के समय त्याग करने को तैयार रहता है और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान व संविधान का सम्मान करता है।

जागरूकता और शिक्षा: वह राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक होता है। शिक्षित होकर वह सही और गलत का अंतर समझता है और चुनावों में सोच-समझकर मतदान करता है।

कानून का पालन व कर अदायगी: वह राज्य के कानूनों का स्वेच्छा से पालन करता है, यातायात के नियम मानता है और ईमानदारी से अपने टैक्स (कर) का भुगतान करता है ताकि देश का विकास हो सके।

सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा: वह सरकारी संपत्तियों (जैसे ट्रेन, बस, पार्क, ऐतिहासिक इमारतें) को नुकसान नहीं पहुँचाता और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देता है।

सहनशीलता और बंधुत्व की भावना: वह दूसरों के धर्म, भाषा, विचारों और संस्कृति का आदर करता है। समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने में योगदान देता है।

39.भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है। लेकिन हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या केवल 12% तक पहुंची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

उत्तर: भारतीय लोकतंत्र में आधी आबादी (महिलाओं) का संसद और विधानसभाओं में कम प्रतिनिधित्व एक गंभीर चिंता का विषय है। इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित ठोस सुझाव दिए जा सकते हैं:

संसदीय व विधानसभा चुनावों में कानूनी आरक्षण (महिला आरक्षण विधेयक का पूर्ण क्रियान्वयन): स्थानीय निकायों (पंचायतों) की तर्ज पर संसद (लोकसभा) और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें कानूनी रूप से आरक्षित की जानी चाहिए। (हाल ही में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को बिना देरी के धरातल पर लागू किया जाना चाहिए)।

राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक कोटा: चुनाव आयोग को ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे सभी पंजीकृत राजनीतिक दल अपने टिकटों के वितरण में अनिवार्य रूप से न्यूनतम 33% या अधिक टिकट महिला उम्मीदवारों को दें।

सुरक्षित और अनुकूल माहौल: राजनीति में बढ़ते बाहुबल, धनबल और अभद्र टिप्पणियों के कारण महिलाएं आगे आने से कतराती हैं। चुनाव सुधारों के जरिए राजनीति को स्वच्छ बनाया जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें।

वित्तीय सहायता और संसाधन: महिला उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल विशेष फंड की व्यवस्था करें, क्योंकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने के कारण कई योग्य महिलाएं चुनाव नहीं लड़ पातीं।

जागरूकता और क्षमता निर्माण: सामाजिक स्तर पर रूढ़िवादिता को खत्म किया जाए और महिलाओं को नेतृत्व के गुण सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं।

(अथवा)

भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर: भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

वयस्क मताधिकार: भारत में प्रत्येक नागरिक, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्राप्त है।

प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान: लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सीधे जनता द्वारा गुप्त मतदान (अब EVM और VVPAT के जरिए) से होते हैं, जिससे निष्पक्षता बनी रहती है।

'जो सबसे आगे वही जीते' प्रणाली (First-Past-The-Post System): भारत में चुनाव जीतने के लिए कुल मतों का बहुमत पाना जरूरी नहीं है, बल्कि चुनाव मैदान में उतरे अन्य उम्मीदवारों से केवल एक वोट भी अधिक पाने वाला विजयी घोषित हो जाता है।

स्वतंत्र चुनाव आयोग: चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वायत्त 'भारत निर्वाचन आयोग' की स्थापना की गई है।

निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और आरक्षण: देश को जनसंख्या के आधार पर एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूचित जातियों (SC) और जनजातियों (ST) के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं।

40.संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है, आप क्या समझते हैं?

उत्तर: संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल) के पास देश की वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां और विशाल संसाधन होते हैं। कार्यपालिका को विधायिका (संसद) द्वारा नियंत्रित करना निम्नलिखित कारणों से अत्यंत आवश्यक है:

तानाशाही को रोकने के लिए: यदि कार्यपालिका पर कोई अंकुश नहीं होगा, तो वह अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करके निरंकुश (तानाशाह) बन सकती है और नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचल सकती है।

जनता के प्रति जवाबदेही: विधायिका (संसद) जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा है। कार्यपालिका को नियंत्रित करके संसद यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जो भी नीतियां या कानून बना रही है, वह जनता के कल्याण के लिए हो, न कि अपने व्यक्तिगत या दलीय लाभ के लिए।

वित्तीय नियंत्रण (धन का सही उपयोग): देश के खजाने (बजट) पर संसद का नियंत्रण होता है। कार्यपालिका जनता से टैक्स के रूप में वसूले गए धन को बिना संसद की मंजूरी के एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। नियंत्रण के जरिए भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची पर रोक लगती है।

अधिकारों की रक्षा: यदि सरकार कोई ऐसा अवैध कदम उठाती है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचे, तो संसद में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरा जाता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर किया जाता है।

(अथवा)

प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन करें।

उत्तर:

नियुक्ति: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकता; वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल (या गठबन्धन) के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है।

शक्तियां एवं कार्य: प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। उसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

मंत्रिपरिषद का निर्माण: वह मंत्रियों की सूची तैयार कर राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो। वह मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और फेरबदल भी करता है।

मंत्रिमंडल की अध्यक्षता: वह कैबिनेट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। नीतिगत फैसलों में उसका निर्णय अंतिम और सर्वोपरि होता है।

राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी: सरकार के सभी फैसलों और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी वह राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। वह राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है।

संसद का नेता: प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह सदन में सरकार की मुख्य नीतियों की घोषणा करता है और महत्वपूर्ण बहसों का उत्तर देता है। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी वह राष्ट्रपति से कर सकता है।

राष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता: अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह देश का प्रतिनिधित्व करता है और विदेश नीति के निर्धारण में उसकी भूमिका निर्णायक होती है। वह नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष भी होता है।